<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारीः– **सुनील कुमार पंचोली,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी संख्याः- **142/2025 (CIS No. 142/2025)**

राजेश कुमार पुत्र आशाराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी गांव टोडरवास, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज०) **निगरानीकार**

//बनाम//

1 राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, झुंझुनूं (राज०)

2 आशाराम पुत्र जगनाराम, निवासी गांव टोडरवास, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज०) **गैर निगरानीकारान**

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक **21.07.2025** जो
विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट मण्डावा द्वारा फौज०प्र०सं० 147/2025
<u>राज०राज्य/विनोद व अन्य में पारित किया गया</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री राजकुमार सैनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते निगरानीकार
2. श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
3. गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से कोई नहीं

<u>आदेश</u> **दिनांकः– 08.04.2026**

1. हस्तगत निगरानी विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट मण्डावा के निम्नलिखित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है–

"यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावा की ओर से विनोद पुत्र आशाराम निवासी टोडरवास पुलिस थाना मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126,135(3) बीएनएसएस 2023 के तहत पेश किया गया। इस्तगासा पेश होने पर इस्तगासे का अवलोकन किया गया। इस्तगासा एवं बयान गयाहान में अंकित तथ्यों से मैं सहमत हूं जिससे जाहिर है कि मौके पर दोनों पार्टियों के आपस में तनाव है जिससे मौके पर परिशांति भंग होने का अंदेशा प्रतीत होता है। अतः इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस अन्तर्गत धारा 126,135(3) बीएनएसएस 2023 जारी हो कि क्यों न आपको मौके पर परिशांति कायम रखने हेतु बाद जांच तादादी 10000/- की जमानत तथा इतनी राशि के मुचलके पर अवधि 6 माह के लिए लोक परिशांति बनाये

रखने हेतु अंतिम रूप से पाबन्द किया जावें। पत्रावली आइन्दा दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।"

2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट मण्डावा ने संबंधित थानाधिकारी के परिवाद पर निगरानीकार के खिलाफ धारा 130 बीएनएसएस 2023 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न परिशांति बनाए रखने के लिए छः माह के लिए पाबन्द किया जावे। इस आदेश से व्यथित होकर निगरानीकार ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

3. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों पर गौर किए आलौच्य आदेश पारित किया है। उनका तर्क है कि परिवादी व उसके भाई के मध्य राजस्व न्यायालय में जमीन के मुकदमें विचाराधीन है, निगरानीकार के भाई ने परिवादी को धमकी दी है लेकिन विचारण न्यायालय ने निगरानीकार को गलत रूप से पाबन्द करने में भूल की है। उनका तर्क है कि धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट अपने लिखित आदेश में प्राप्त इत्तला का सार देगा परन्तु ऐसा कोई सार आलौच्य आदेश में नहीं दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130, 133 के आदेशात्मक प्रावधान की कोई पालना नहीं की गई है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 21.07.2025 को विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता एवं उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए आलौच्य आदेश को पूर्णतया विधिपूर्ण बताते हुए निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों पर पूर्ण मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का मुख्य तर्क यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 व 133 के प्रावधान की पालना नहीं की गई है।

7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 इस प्रकार हैः–

धारा **130:-"आदेश दिया जाना–** जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए की वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश देगा।"

धारा **133:-''समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी–** धारा 132 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारण्ट के साथ धारा 130 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारण्ट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है।**"**

8. उपरोक्त धारा 130 व 133 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 130 के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट अपने लिखित आदेश में प्राप्त इत्तला का सार देगा परन्तु ऐसा कोई सार आलौच्य आदेश में नहीं दिया गया है। धारा 133 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह भी आज्ञापक प्रावधान है कि समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से इस प्रावधान की पालना किया जाना भी दर्शित नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य आदेश में निगरानीकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 132 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया गया है लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए धारा 132 के प्रारूप संख्या 15 के अनुसार उक्त नोटिस में इत्तला का सार लिखा जाएगा परन्तु न तो उक्त नोटिस में निगरानीकार के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासे का सार दिया गया है ना ही नोटिस के साथ निगरानीकार को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 130 के अन्तर्गत दिए गए आदेश की प्रति ही दी गई है।

9. निगरानाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है उक्त आदेश दिनांक 21.07.2025 को पारित किया गया है जिसे इस निगरानी याचिका के लंबित रहने के दौरान 21.01.2026 को 06 माह से अधिक की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है।

10. स्पष्टतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आदेशात्मक प्रावधान जो धारा 130 व 133 में दिए गए हैं उनकी पालना नहीं की गई है एवं मेरी विनम्र राय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में पारित आलौच्य आदेश को विधिक आदेश नहीं माना जा सकता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07 2025 अपास्त किए जाने योग्य है।

11. परिणामतः निगरानीकार राजेश कुमार की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक **21.07.2025** एतद्द्वारा स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डावा द्वारा पारित आदेश दिनांक **21.07.2025** अपास्त किया जाता है।

12. इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(**सुनील कुमार पंचोली**)
सेशन न्यायाधीश,
झुंझुनूं (राज०)

13. आदेश आज दिनांक **08.04.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

SUBHASH CHANDRA SONI
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA SONI
Date: 2026.04.10 16:47:51 +0530

(**सुनील कुमार पंचोली**)
सेशन न्यायाधीश,
झुंझुनूं (राज०)